।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

म्उंपस.कवित्रइंकतपदंजीत्रनजं / लीववण्बवण्पद चीवदम दव.01372–252175

पत्रांक / ,गोपेश्वर, दिनांक 08/04/2025।

फाइल नम्बर......1.ak.A

क्रम संख्या......910......

प्राप्ति तिथि......19/04/25

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून

विषयः– जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत ग्वाड़–डिडोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.20है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (online Proposal- FP/UK/Road/62388/2020

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/80/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.40है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाड़ खसरा सं0 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जाय। तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचें। क्योकि कुल 4.4है0 भूमि में से 1.0है0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4(vi) के अनुसार शेष 1000वृक्षो का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र Degraded Forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र Shape File पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। (ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। (ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927, के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (घ) वन मडंल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। (ङ) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Works, the proposed Catchment area treatment and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permision towards linear projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval, as the case may be.	(क) ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि 4.40है0 भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण करते समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जायेगा तथा मिश्रित प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। तथा उक्त स्थल में कुछ जगहो पर स्थानीय झाड़ियां होने के वजह से गूगल अर्थ में क्षेत्र MDF दिखाई दे रही है। उक्त स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। (ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। (ग) ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि 4.40 है0 भूमि का जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है **(संलग्न–1)** (घ) सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)** (ङ) मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल, सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाईल ई–ग्रीन वॉच पर अपलोड कर दी गयी है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभंन की लागत रू0 1631969.00 की धनराशि ऑनलाईन चालान दिनांक 07.03.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। **(रू0 16,31,939.00 का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन संलग्न–3)**

प्र0व0अ0
बद्रीनाथ

5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की wp(c) संख्या 202/1995 में आई0ए0 न0 556 दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रीमडल द्वारा पत्रांक 5–1998–एफ.सी. (PT) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत 2.2 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 14,45,400.00(रू चौदह लाख पैंतालीस हजार चार सौ) ऑनलाईन चालन दिनांक 07.03.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है।**(चालान की प्रति संलग्न–4)**
	(ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभुमि के शुद्व मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दरो मे बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है **(संलग्न–5)।**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या पस्ताव के अनुसार 128 दर्शाई गई है। किन्तु इसमें डम्पिंग क्षेत्र के वृक्ष भी सम्मिलित प्रतीत होते है।राज्य शासन द्वारा डम्पिंग क्षेत्र में उपस्थित वृक्षो की सूची पृथक से प्रस्तुत की जायेगी तथा इन वृक्षो के पातन की अनुमति नही रहेगी पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी। अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किये जायेगे।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में जमा किया गया है। **संलग्न–4 के अनुसार।**
8.	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाइ से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य क अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफआर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता एजेन्सी आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रो मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ–साथ विनियक साइनेज लगाए जायेगें।
12.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नही बदला जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16.	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति क बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तान मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेंने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षो की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन आख्या ई पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/ पर अपलोड़ की जा चुकी है।

उपरोक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 4450 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

ई–मेल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 885 / 1 सी0 वन दिनांक 29/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड–डिडोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.20 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/62388/2020)**

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक संख्या 1128/12–1 दिनांक 26.8.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि ग्वाड–डिडोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.20 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/80/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या 3 प्रतियो में संलग्न कर आपके पत्रांक संख्या 1128/12–1 दिनांक 26.8.2023 द्वारा वन संरक्षक गढवाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित की गई है। परन्तु आतिथि तक भी कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृत हेतु उच्च स्तर को पत्र प्रेषित करने की कृपा किजियेगा। ताकि विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय
29/06/24
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर
29/6/24

पत्रांक संख्या /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम नि0ख0लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक / ,गोपेश्वर, दिनांक 26/08 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौडी।

विषयः– जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत ग्वाड़–डिडोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.20है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (online Proposal- FP/UK/Road/62388/2020

संदर्भ– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/80/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा विषयाकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे सलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.40है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाड खसरा सं0 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जाय। तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचें। क्योकि कुल 4.4है0 भूमि में से 1.0है0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4(Vi) के अनुसार शेष 1000वृक्षो का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र Degraded Forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र Shape File पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। (ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। (ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927, के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (घ) वन मडंल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा। की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। (ड) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Works, the proposed Catchment area treatment and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permision towards linear projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval, as the case may be.	(क) ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि 4.40है0 भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण करते समय स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जायेगा तथा मिश्रित प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण में दिखायी देने वाली 1.00है0 MDF में स्थानीय झाड़ियां होने के कारण MDF दिखाई दे रही है उक्त स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। (संलग्न–1) (ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा। (ग) ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि 4.40 है0 भूमि का जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है (संलग्न–2) तथा उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न–3) (घ) सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न–4) (ड) मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल, सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाईल ई–ग्रीन वॉच पर अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तभंन की लागत रू0 1631969.00 की धनराशि ऑनलाईन चालान दिनांक 07.03.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (रू0 16,31,939.00 का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन संलग्न–5)

	कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	
4.	शुद्व वर्तमान मूल्य (क) इस संबध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की **wp(c)** संख्या 202 / 1995 मे आई0ए0 न0 556 दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रीमंडल द्वारा पत्रांक 5–1998–एफ.सी. **(PT)** दिनांक 18.09.2003 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनाक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 मे जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी से इस प्रस्ताव के तहत 2.2 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 14,45,400.00(रू चौदह लाख पैंतालीस हजार चार सौ) ऑनलाईन चालन दिनांक 07.03.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है।(चालान की प्रति संलग्न–6)
	(ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभुमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दरो मे बढोत्तरी से सम्बन्धित वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है (संलग्न–7)।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या पस्ताव के अनुसार 128 दर्शाई गई है। किन्तु इसमें डम्पिंग क्षेत्र के वृक्ष भी सम्मिलित प्रतीत होते है।राज्य शासन द्वारा डम्पिंग क्षेत्र में उपस्थित वृक्षो की सूची पृथक से प्रस्तुत की जायेगी तथा इन वृक्षो के पातन की अनुमति नही रहेगी पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी। अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अथ्भकरण राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किये जायेगे।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्धन और राज्य प्राधिकरण फण्ड में जमा किया गया है। संलग्न–6 के अनुसार।
8.	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाइ से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य क अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफआर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता एजेन्सी आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सडक के दोनो किनारो एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायी जायेगी।
11	संरक्षित क्षेत्रो / वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रो / वन क्षेत्रो मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ–साथ विनियक साइनेज लगाए जायेगें।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नही बदला जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16.	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	बनाया जायेगा।	
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति क बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेंने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षो की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन आख्या ई पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/ पर अपलोड की जा चुकी है।

उपरोक्त प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 1128 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वनभूमि सहायक

04/09/23

4-9-2023

डायरी सं0 1416
फाईल सं0 1 सी0(लन)
दिनांक 04/09/2023

प्रतिलिपि- सहायक II प्रति संलग्न ... गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

ऑनलाइन अपलोड/विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614
Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1227 /1सी0 (वन) दिनांक 27 / 07 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No- FP/UK/ROAD/62388/2020)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/80/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक संख्या 1133/FP/UK/ROAD/62388/2020 दिनांक 02.11.2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 24 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि सौपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.4 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाड़ खसरा नं0 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। क्योकिं कुल 4.4 है0 भूमि में से 1.0 हे0 भूमि MDF है। अतः राज्य सरकार गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार शेष 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्ययोजना के अनुसार अन्यत्र Degraded Forest land में लगायेगी तथा इस क्षेत्र का DGPS मानचित्र, Shape file पृथक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
ख	श्रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।

ग	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.400 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/ छब्बीस–18 (2021–22) गोपेश्वर दिनांक 11.4.2022 द्वारा किया जा चुका है। जिसका Notification भी राजस्व अभिलेखो में किया जा चुका है। उक्त भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित आपके स्तर से किया जाना है। **संलग्न 1–** जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/ छब्बीस–18 (2021–22) गोपेश्वर दिनांक 11.4.2022 की छायाप्रति।
घ	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
ड़	The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत रू0 1631969.00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलन दिनांक 7.3.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। **संलग्न 2– चालान रू0 3077369.00 की मूल प्रति।**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.2 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 2.2 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 14,45,400.00 ऑनलाइन चॉलन दिनांक 7.3.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्न 2 के अनुसार)**

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा। प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 128 दर्शाई गई है किन्तु इसमें डम्पिंग क्षेत्र के वृक्ष भी सम्मिलित प्रतीत होते है। राज्य शासन द्वारा डम्पिंग क्षेत्र में उपस्थित वृक्षों की सूची पृथक से प्रस्तुत की जायेगी तथ इन वृक्षों के पातन की अनुमति नहीं रहेगी। पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	खण्ड द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी तथा डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं कटाई की लागत वन विभाग को ज मा की जाएगी
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। **संलग्न 4– ई–पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।**
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	यह बिन्दु आपके स्तर सम्बन्धित है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	खण्ड द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढाएगा।	खण्ड द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

11	संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जाएगें।	खण्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जायेगें।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जाएगा।
14	वनभूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।
16	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ backward bearings अंकित हो।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	खण्ड द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तातंरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं।	शर्त मान्य है।

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वाण)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /1 सी0 वन तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

संलग्न-1

आदेश –

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़–डिडोली–रिखलोटी–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.400 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0 /06/ 18 / 2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0 /06/18/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़–डिडोली–रिखलोटी–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200है0 वन भूमि के एवज में ग्राम ग्वाड़, रा0उ0नि0 क्षेत्र कनखुल, तहसील कर्णप्रयाग की ख0खा0सं0–21 के खसरा सं0–1469 रकबा 4.546 है0 भूमि मध्ये 4.400 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3827/छब्बीस–18 (2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 11 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/कर्णप्रयाग ।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर।

11/4/22
जिलाधिकारी,
चमोली।

Reader (Sdm. Court) / R.K

Sdm. (KP.S)
29.4.2022

रा0उ0नि0 कनखुल/कण्डारा
कृपया सम्बन्धित राजस्व अभिलेखो मे इन्द्राज कर खतौनी नकल मी

(1/2)

संलग्न- 2

N.Z.A. खतौनी

...बाड़ राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र - कानखुल तह० - कर्णप्रयाग जिला - चमोली

9(3)(ङ) → अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

	2	3	4	5	6 to 13
21	बंजर उत्तराखण्ड सरकार		2	0.080	**आदेश**
			5	16.955	मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्रांक संख्या 3827/इक्कीस-18 (2021-2022) गोपेश्वर : दिनांक 11 अप्रैल 2022 के क्रम में ग्राम सवाड़ की ख० खा० सं० 21 के खसरा सं० 1469 रकबा 4.546 है० मे० 4.400 है० भूमि जो कि NZA श्रेणी 9(3)(ङ) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष में नामान्तर हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार अमलदरामद किया।
			6	9.959	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			91	0.010	
			94	0.020	
			109	0.011	
			414	0.024	
			441	0.003	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			1412	0.006	
			1413	0.009	
			1436	0.045	
			1469	4.546	
			xx	xxx	
			xx	xxx	
			2266	0.095	ह० 21/04/22 रा० उ० नि० कानखुल
			2268	1.119	
	योग		152	95.294	

नकल NZA खतौनी असल से तैयार किया

प्रतिहस्ताक्षरित।

ह० तहसीलदार कर्णप्रयाग

ह० 21/04/22
नीतू खाली
रा.उ.नि. Kankhul
तहसील 1579 (चमोली)

2/2

3/8/22, 4:52 PM

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-03-2022

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6162388958
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/80/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	3077369/-

Amount in Words :Thirty Lakh Seventy-Seven Thousand Three Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896162388958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

09 MAR 2022

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through chal
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

शर्त संख्या 5 (ख)

परियोजना का नाम– चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online proposal No- FP/UK/ROAD/62388/2020)

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बडोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

27/07/22

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न-4

PARIVESH परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

4:01:57 PM

no.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)		Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	FP/UK/ROAD/62388/2020 Construction of Gwad - didoli-riktoli-partoli-kimoli Motor road	ROAD623882020958	6162388958	29 Oct 2021	CA: 1631969/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1445400/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3077369/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :08 Mar 2022 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :08 Mar 2022 Transaction Date :09 Mar 2022	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/42439/2019 Karnaprayag Nauti Paithani M/R to Dewalgarhsari M/R	ROAD424392019666	6142439666	26 Mar 2021	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 243090/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 389490/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side /gap filling plantation : 146400/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :30 Sep 2021 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :30 Oct 2021 Transaction Date :30 Oct 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/48583/2020 Gauchar Sidoli to Panai M/R	ROAD485832020777	6148583777	31 Dec 2020	CA: 175336/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 170820/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 346156/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Mar 2021 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Apr 2021 Transaction Date :09 Apr 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/31469/2018 In district Chamoli , Karanprayag construction of new motor road "Karanprayag- Nauti-Paithani to Gairoli"	ROAD314692018239	6131469239	30 Sep 2020	CA: 579956/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 565020/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1144976/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :10 Mar 2021 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Mar 2021 Transaction Date :17 Mar 2021	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/42515/2019	ROAD425152019237	6142515237	07 Oct 2020	CA: 0/- ,	Addl CA : 0/-		Fund Demand Verified by [illegible]	[illegible] Letter

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

ई-मेल/विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 110 / 1 सी0 वन दिनांक 24/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- **जनपद चमोली में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली- किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:- **जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक संख्या 1375/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2022-23) दिनांक 17.12.2022 एवं आपका पत्रांक संख्या 597/12-1 दिनांक 02.8.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु स्थल ग्राम ग्वाड़ सिविल भूमि खसरा सं 1469 में 4.40 है0 भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 3827/छब्बी-18 (2021-22) गोपेश्वर दिनांक 11.04.2022 द्वारा प्राप्त है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, एक प्रमाण पत्र जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1375/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2022-23) गोपेश्वर दिनांक 17.12.2022 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग की जॉच आख्या के साथ निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेख हेतु कि **प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखित खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठि प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो ।** उक्त प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति एवं वृक्षों के छपान हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न- जिलाधिकारी चमोली का पत्र संख्या 1375/
छब्बीस-एल0ए0सी0 (2022-23) गोपेश्वर दिनांक 17.12.2022
मूल में मय संलग्नों सहित!

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
24.1.2023

पत्रांक संख्या /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न- उपरोक्तानुसार छायाप्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

N-72/वन 2k
अ - 24/1/23

ईमेल

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 1375/छब्बीस–एल0ए0सी0(2022–23) गोपेश्वरः दिनांकः 17 दिसम्बर 2022

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर।

विषयः **जनपद चमोली में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–1943/1सी0 वन दिनांक 29.11.2022 के कम में उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं0–182/र0का0/ ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग/(2022–2023) दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के साथ इस आशय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जनपद चमोली में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली– किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.2 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्वाड़ की ख0खा0सं0–21 के खसरा सं0–1469 रकबा 4.548 है0 भूमि मध्ये 4.400 है0 सिविल भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित अन्य प्रस्तावों में नहीं दिया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की जांच आख्या के साथ प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, चमोली के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Signed by Dr Abhishek Tripathi
Date: 18-12-2022 19:28:40

अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

ADM/LACI
D.M.C.
15/12/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

पत्रांक–182/र0का0/ग्वाड डिडोली रिखतोली पारतोली किमोली मोटर मार्ग/(2022–23) दिनांक 13,दिसम्बर, 2022

विषय :– **जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.200 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन।** **(Online proposal No-FP/UK/ROAD/62388/2020)**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र संख्या–1943/1 सी0 वन दिनांक 29.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकबा कितना है तथा उसमें कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल–खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो, के सम्बनध में आख्या चाही गयी है। प्रकरण में अवगत करना है कि उक्त प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में राजस्व उपनिरीक्षक कनखुल से आख्या प्राप्त की गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक कनखुल के द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि– ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम ग्वाड, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कनखुल की खतौनी खाता संख्या–21 के खसरा संख्या 1469 रकबा 4.548 हैक्टेयर भूमि मध्ये 4.400 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9(3) ङ: की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संस्तुति आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न– यथोक्त।

(सन्तोष कुमार पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

—:: **प्रमाणपत्र** ::—

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वाड़—डिडोली—रिखतोली—पारतोली—किमोली मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम ग्वाड, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कनखुल तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की खतौनी खाता संख्या—21 के खसरा संख्या 1469 रकबा 4.548 हैक्टेयर भूमि मध्ये 4.400 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9(3) (ङ:) की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजना अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

Purohit
12/12/2022
कनखुल

R.K.(KP4)
R.K.(KP4)

c.s.

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग